



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 29 सितम्बर, 2026

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र राय पुत्र श्री मुक्तिनाथ राय, निवासी जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-संतकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-13928/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-26.03.2026, दिनांक 09.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र राय पुत्र श्री मुक्तिनाथ राय, साखी, थाना-महुली, जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-संतकबीर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 13/14.11.1981 की 09 सहयभियुक्तों के साथ मिलकर देसी पिस्तौल, बन्दूक से गोली मारकर महादेव राय और गोपाल जी राय की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-293/1982 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-02, बस्ती के दण्डादेश दिनांक 02.08.1983 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.01.2016 द्वारा एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.10.2025 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.11.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष 11 माह, 23 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 19.11.2025 तक बन्दी की आयु 66 वर्ष एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 19.11.2025 तक अपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 23 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी रविन्द्र राय (बन्दी संख्या-169/2015) पुत्र श्री मुक्तिनाथ राय, निवासी जनपद-बस्ती वर्तमान जनपद-संतकबीर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-1288/2026/774(1)/22-2-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती/संतकबीर नगर।
- 2- अधीक्षक, जिला कारागार बस्ती।
- 3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) संख्या-16196/2025 रविन्द्र राय बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2025 के सन्दर्भ में।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव